संO-36/2018/3474/62-2-2018-2/3(49)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-877/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/व0ज0संच0/2018-19, दिनांक-13.10.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-231/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83(एस0सी0एस0पी0) के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-1380.00 लाख (रू0-तेरह करोड़ अस्सी लाख मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) योजना का क्रियान्वयन सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

(2) योजना का क्रियान्वयन दोहित/अतिदोहित विकास खण्ड, जो भूजल के गिरते स्तर से समस्याग्रस्त हैं, में ही किया जायेगा।

(3) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित गाइड-लाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(4) योजना का डी0पी0आर0 निर्धारित एस0ओ0आर0 एवं मानक के अनुसार तैयार कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(5) योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय एवं अन्य आवश्यक क्लीयरेन्स अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

(6) आवंटित की जा रही धनराशि से प्रश्नगत योजना पूर्ण कर ली जायेगी। योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(7) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य जनोपयोगी एवं पर्यावरणीय संरक्षण में सहयोगी होंगे, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) धनराशि का व्यय मितव्ययता संबंधी शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रथमतः अन्य योजनाओं से डबटेल करने का प्रयास किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का अन्य योजनाओं से द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) धनराशि के व्यय के दौरान वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375 /दस- 2018- 231/2018, दिनांक 30.03.2018 की शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं डाला जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना में किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/उपभोग प्रश्नगत योजना संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने बाद ही किया जायेगा तथा सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(17) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा।

(18) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश संख्या-1361/62-2-2018-2/3(28)/2018, दिनांक 19.09.2018 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	31.03.2019 तक
3-	आवंटन का समर्पण	10.03.2019 तक

नोट:- दिनांक 15.03.2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना हेतु अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखाषीर्शक 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231 /2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

संख्या-36/2018/3474(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in